

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-3012/2015 श्र0सं0-
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

59

प्रेषक,

प्रकाश कुमार,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चंपारण(बेतिया)/ औरंगाबाद /सीवान/
गोपालगंज /नालन्दा(बिहारशरीफ)।

पटना, दिनांक :- 15-10-15

विषय:- आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-
26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- पी
2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृतादेश संख्या-2692 दिनांक-27.8.15 के आलोक में
चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष- 2015-16 में 31 मार्च 2016 तक व्यय के निमित्त " बिहार राज्य प्रवासी मजदूर
दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर
की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	प्राथमिक इकाई	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1	पश्चिम चंपारण (बेतिया)	03	31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	300000/-	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण (बेतिया) के पत्रांक-318/सा०सु० दिनांक 24.04.15 के आलोक में (1) स्व० प्रमोद महतो, आश्रित मु० सुकान्ती देवी (पत्नी) ग्राम-धरमकता, पो0-बेलवामोड़, थाना-चौतरवा, जिला- पश्चिम चंपारण (बेतिया) (2) स्व० मसुरूदीन मियाँ, आश्रित मु० कृतपासी बीबी, ग्राम-पतिलार (भतौरा टोला), थाना-चौतरवा, जिला- पश्चिम चंपारण (बेतिया) (3) स्व० तबारक मियाँ, आश्रित मु० सहनाज खातुन (पत्नी) ग्राम-टिकुलहारी टोला, पो०+थाना-बगहा-1, जिला-पश्चिम चंपारण (बेतिया)के भुगतान हेतु।
2	औरंगाबाद	02	तदैव	200000/-	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद का पत्रांक-151 एवं 152 दोनों दिनांक 10.03.2015 के आलोक में (1) स्व० सुरेश यादव, आश्रित सरस्वती कुँवर (पत्नी) ग्राम-चरकावाँ हाजी, थाना+प्रखंड-रफीगंज, जिला- औरंगाबाद (2) स्व० युगेश कुमार साव, आश्रित कपिलदेव साव (पिता) ग्राम-हुसैन कर्मा, पो०-विशाम्भरपुर, थाना-कासमा, जिला- औरंगाबाद के भुगतान हेतु।
3	सीवान	01	तदैव	100000/-	जिला पदाधिकारी, सीवान का पत्रांक-593/श्र०सं०का० दिनांक-9.9.15 के आलोक में स्व० विकास कुमार आश्रित ध्रुव शंकर प्रसाद (पिता) ग्राम+पो०+थाना+प्रखंड-बसंतपुर, जिला-सीवान के भुगतान हेतु ।

4	गोपालगंज	01	तदैव	100000/-	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज का पत्रांक-558 दिनांक-26.8.15 के आलोक में स्व. उमेश प्रसाद यादव, आश्रित उमरावती देवी (पत्नी) ग्राम- आलापुर, पो-सोनबरसा, थाना-बरौली जिला-गोपालगंज के भुगतान हेतु ।
5	नालन्दा (बिहारशरी फ)	01	तदैव	100000/-	जिला पदाधिकारी, नालन्दा का पत्रांक 374 दिनांक-28.09.15 के आलोक में स्व. शैलेन्द्र कुमार आश्रित मुसो. अंजु देवी(पत्नी), ग्राम+पो+पंचायत-बाराखुर्द, प्रखंड-नूरसराय, जिला- नालन्दा के भुगतान हेतु ।
	कुल	08		800000/-	

कुल आवंटित राशि रूपये 8,00,000/- (रूपये आठ लाख) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल कर मृतक के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय । भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फ़ैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि० दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
4. बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली,2008 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
5. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

(प्रकाश कुमार) 1/10

श्रमायुक्त, बिहार।

14/10/15

ज्ञापांक-6/एफ1-3012/2015 श्र०सं०-

59

पटना, दिनांक 15-10-15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(प्रकाश कुमार) 1/10

श्रमायुक्त, बिहार।

14/10/15

ज्ञापांक-6/एफ1-3012/20145 श्र०सं०-

59

पटना, दिनांक- 15-10-15

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक /आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/सहायक श्रमायुक्त, शोध (श्रम पक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०-189 (श्रमपक्ष) दिनांक-06.10.15 के आलोक में /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

(प्रकाश कुमार) 1/10

श्रमायुक्त, बिहार।

14/10/15